




## NOTIFICATION

It is for the information of all the concerned that permission granted to any employee of the University, **if any**, for performing his/her duties by travelling from his/her native place/residence located in other District/State has been withdrawn with immediate effect in the light of Notification No. 2328/M.A. dated 25.04.2020 of District Magistrate, Mahendergarh.

In view of this, all the employees of the University are advised to comply with the directions mentioned in the above said Notification of D.M., Mahendergarh, and to maintain the official residence/residence at workplace/ Headquarter and not to leave the station/travel beyond the territorial jurisdiction of Mahendergarh district.


  
Registrar

Encl.: a/a

Copy to:

1. All faculty members, CUH.
2. All Non-Teaching staff members, CUH.
3. Vice-Chancellor's Secretariat (For information of the Vice-Chancellor), CUH.
4. Sh. Amit, STA – for uploading on the University's Website.

  
SO(Estt.)



जिला उपायुक्त Mahendragarh ने दिए जिले को सील करने के आदेश।  
जिला महेंद्रगढ़ में दूसरे जिले व राज्य से आने व जाने वालों पर लगेगी रोक।  
सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा आदेश।

### भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश:

दिनांक 25.04.2020 तक प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस जिला में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति नहीं है, परन्तु यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इस जिला के साथ लगे अन्य जिलों व राज्यों से आवागमन करने वाले व्यक्तियों एवं कर्मचारियों जो कि परोक्ष रूप से इस वायरस से संक्रमण आ सकता है तथा जनस्वास्थ्य के प्रतिकूल है।

अतः भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मैं, जगदीश शर्मा, भा0प्र0से0, जिलाधीश, महेंद्रगढ़, इस जिला में साथ लगे जिले व राज्यों से प्रतिदिन आवागमन करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं आम व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाता हूँ।

समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं ये आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूँ तथा यह जनसामान्य को सम्बोधित है। यह आदेश दिनांक 03.05.2020 तक प्रभावी होगा।

इस आदेश का जिला महेंद्रगढ़ में डोल बजाकर जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचेहरी, उपमण्डल कचेहरी, तहसील कचेहरी तथा सर्वाजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जाये।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

जिलाधीश  
महेंद्रगढ़

पृ० क्रमांक

2328 / एम.ए.

दिनांक 25/04/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
- 3 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तघर विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 5 आयुक्त, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम।
- 6 जिला सत्र एवं न्यायाधीश, महेंद्रगढ़।
- 7 राज्य के सभी जिलाधीश।
- 8 पुलिस अधीक्षक, नारनौल।
- 9 अतिरिक्त उपायुक्त, नारनौल।
- 10 उप-मण्डल अधिकारी (ना०), नारनौल/महेंद्रगढ़/कनौना।
- 11 मुख्य थिक्विस्त अधिकारी, नारनौल।
- 12 जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/बी०डी०पी०ओ०।
- 13 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद एवं सचिव सभी नगर पालिका/मार्केट कमेटी।
- 14 जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, नारनौल।
- 15 जिला प्रबन्धक ट्रैफिक, नारनौल।
- 16 जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, नारनौल।
- 17 सम्बन्धित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट।

जिलाधीश  
महेंद्रगढ़